—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 10/2024

उनवान

फूला पुत्र कालू जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. नोरतमल पुत्र रामचन्द्र
2. कैलाशचन्द,
3. श्यामबिहारी,
4. दाउदयाल पि. मादूलाल जाति ब्राहमण नि0 तिहारी, नसीराबाद
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— प्रतिवादीगण :— 5 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 12.7.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के चौसाला खसरा नम्बर 3326, वंर्किंग खसरा नम्बर 3834 रकबा 0—9—10 के हाल खसरा नम्बर 6240 रकबा 0.08 की आराजी वादी के पिता की क्रयशुदा है। उक्त आराजी के साथ अन्य आराजी भी क्रय की गयी थी, जो राजस्व अभिलेख में क्रेता के नामखातेदारी दर्ज कर दी गयी किन्तु हाल खसरा नम्बर 6240 रकबा 0.08 की आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज की गयी है। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिसटर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वर्तमान व साबिक राजस्व अभिलेख में सिवायवक होने के कारण वादी का वाद निरस्त किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा है ?
   —— वादी
2. आया वादग्रस्त सम्पदा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
   —— वादी
3. आया वादग्रस्त आराजी [illegible] सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है ?
   —— प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

<u>तनकी संख्या 1:–</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार ग्राम तिहारी के चौसाला खसरा नम्बर 3326 रकबा 0–9–10 वादी के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से दिनांक 20.07.1962 को क्रय की है। विक्रय दिनांक को चौसाला जमाबंदी प्रचलन में थी। वादी द्वारा उक्त अवधि की वौसाला जमाबंदी प्रस्तुत नही की है। पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2019 में उक्त आराजी विक्रेतागण के नाम दर्ज नही होकर सिवायचक दर्ज थी। विक्रय पत्र में अंकित आराजी विक्रेतागण/पूर्वज के नाम हेने की कोई जमाबंदी अथवा दस्तावेज वादी द्वारा पेश नही किया है। अतः भूमि विक्रय दिनांक को भी सिवायचक होने के कारण विक्रेतागण को बैचान का अधिकार नही था। भूमि वादी अथवा उसके पिता की विधिक क्रयशुदा सिद्व नही होती है।

<u>तनकी संख्या 2 व 3 :–</u>

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी के पूर्वज की विधिक क्रयशुदा सिद्व नही होती है। वादी का कथन है कि आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है किन्तु आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज को ही दोहराया है। राज. पैरोकार के जवाब के अनुसार हाल खसरा नम्बर 6240 रकबा 0.08 साबिक व वर्तमान राजस्व अभिलेख में सिवायचक होने से वाद चलने योग्य नही है। वादी द्वारा वाद को सिद्व करने के लिये कोई साक्ष्य भी पेश नही की है। आराजी मुतनाजा आरम्भ से ही सिवायचक है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 6240 रकबा 0.08 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

फूला बनाम नौरतमल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 10/2024
पेश करने की दिनांक – 01.01.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 6240 रकबा 0.08 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 4 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:38 IST
Reason: SelfAttested